यदि मेरा साथी दोषी पाया जाता है तो?

यदि आपका साथी घरेलू हिंसा का दोषी पाया जाता है तो उसे परामर्श, पेरोल या आज़माइश अफ़सर की निगरानी या संभवत: जेल की सज़ा हो सकती है। अदालत आपकी सुरक्षा के लिए विस्तरित नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर जारी कर सकती है।

सुरक्षा के लिए मैं और क्या कर सकती हूं?

आप ऑर्डर फ़ॉर प्रोटैक्शन (सुरक्षा आदेश) के लिए दावा कर सकती हैं। इस प्रकार के आदेश से अपके साथी को आपके घर में प्रवेश करने से मना, अपको परेशान या संपर्क करने से रोका, आपके बच्चों को वाशिंगटन स्टेट से बाहर ले जाने से मना और मुलाक़ात के लिए अस्थाई व्यवस्था को बनाया जा सकता है। ऑर्डर फ़ॉर प्रोटैक्शन पाने के लिए आपका नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक होना आवश्यक नहीं है। आप इस प्रकार के ऑर्डर के लिए अपनी नज़दीकी अदालत में दावा कर सकती हैं। एक विशेष वकील आपकी सहायता करेगा।

आप सामुदायिक स्रोत में दर्ज एजेंसी से संपर्क कर सकती हैं। ये सभी एजेंसियां निजी क्षेत्र में हैं और सरकार का भाग नहीं हैं। वकील आपकी सुरक्षा योजना बनाने में और कपड़े-लत्ते, खाना, रहने के स्थान और मदद जुटाने में आपकी सहायता कर सकता है।

आप को जिस पर विश्वास है, जो आपकी स्थिति को समझता है और जो आपकी सहायता कर सकता है, आप उस से बात कर सकती हैं।

आप अपने क़ानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी और क़ानूनी सहायता नीचे दर्ज एजेंसियों में से किसी एक से प्राप्त कर सकती हैं।

सामुदायिक स्रोत

नीचे दर्ज एजेंसियां निजी क्षेत्र की हैं और सरकार या आईऐनऐस का भाग नहीं हैं।

- **Abused Deaf Women's Advocacy Services** (केवल टीडीडी के लिए)
  206-236-3134
- **Asian/Pacific Islander Women & Family Safety Center**
  206-467-9976
- **Chaya** (दक्षिण एशियाई महिलाओं के लिए)
  206-325-0325
- **Consejo Counseling & Referral Service**
  206-461-4880
- **Domestic Abuse Women's Network (DAWN)**
  425-656-7867
- **Eastside Domestic Violence Program**
  425-746-1940 या 1-800-827-8840
- **Jewish Family Service**
  206-461-3240
- **New Beginnings**
  206-522-9472
- **Northwest Network for Bisexual, Trans, & Lesbian Survivors of Abuse**
  206-568-7777, 206-517-9670 टीटीवाई मैसेज
- **Refugee Women's Alliance** (14 भाषाई समुदाय)
  206-721-0243
- **Seattle Indian Health Board**
  206-324-9360, ऐक्सटैंशन 802
- **YWCA**
  206-568-7845 या 425-226-1266

क़ानूनी स्रोत

- **CLEAR** (को-ऑर्डिनेटिड लीगल ऐजूकेशन ऐडवाईस ऐंड रैफ़्रल सिस्टम - समन्वित क़ानूनी शिक्षा परामर्श और संभाल प्रणाली): सिविल क़ानूनी मामलों में मुफ़्त क़ानूनी सहायता के लिए नि:शुल्क टैलीफ़ोन सेवा
  888-201-1014,टीटीवाई 1-888-201-9737
- **Northwest Immigrants Rights Project,**
  206-587-4009 या 800-445-5771
- **Northwest Justice Project**
  206-464-1519, www.nwjustice.org
- **Northwest Women's Law Center**
  206-621-7691

इस प्रोजैक्ट को वायलैंस अगेन्स्ट विमिन ग्रांट्स ऑफ़िस, ऑफ़िस ऑफ़ जस्टिस प्रोग्राम्ज़, यूऐस डिपार्टमैंट ऑफ़ जस्टिस द्वारा सिएटल म्यूनिसिपल कोर्ट को प्रदित्त अनुदान ग्रांट नंबर 2001-डब्ल्यूऐफ़-बीऐक्स-003 के अंतर्गत सहायता मिली। इस दस्तावेज़ में दिया गया दृष्टिकोण लेखक का है और ज़रूरी नहीं कि डिपार्टमैंट ऑफ़ जस्टिस की नीतियों या धारणाओं का प्रतिनिधित्व करता हो।

HINDI

यदि आपको घर में कोई दुख पहुंचाता है

तो आपकी सुरक्षा के लिए क़ानून हैं

सिएटल और किंग काऊंटी, वाशिंगटन स्टेट में जानकारी के लिए

घरेल हिंसा क्या है?

क्या आपका साथी (पति, मर्द दोस्त या पुराना संगी) द्वेषी है? क्या वह आपको आपके मित्रों और परिवार से मिलने नहीं देता है? क्या वह आपको नौकरी ढूंढने से रोकता है? क्या उसने कभी आपको धमकी दी है कि वह आपसे बच्चों को दूर ले जाएगा? क्या वह धमकी देता है कि आपको देश से निकलवा देगा?

क्या आपके साथी ने कभी आपको जैसे कि थप्पड़ मार कर, धक्का दे कर, मुक्का मार कर, ठोकर मार कर, गला दबा कर, या बाल खींच कर दुख पहुंचाया है? क्या उसने कभी आपको हथियारों, जैसे कि पिस्तौल-बंदूक़, चाकू या अन्य किसी चीज़ से चोट पहुंचाने की धमकी दी है? क्या उसने कभी आपसे कहा है कि हिंसा के लिए आप दोषी हैं?

यदि आपने इन प्रश्नों का उत्तर हां में दिया है तो आपके सम्बंध ख़राब हैं। आप ख़तरे में भी हो सकती हैं। आप अकेली नहीं हैं। बहुत से अन्य लोग भी ऐसी ही स्थिति में हैं। इस पत्रिका में दर्ज संस्थाओं से सहायता उपलब्ध है।

इस पत्रिका में दुख देने वाले का ज़िकर "मर्द" की तरह किया गया है, परंतु, किसी को भी, मर्द या औरत को, उसके साथी द्वारा दुख पहुंचाया जा सकता है।

क्या घरेलू हिंसा क़ानून के विरुद्ध है?

वाशिंगटन स्टेट में कई प्रकार की घरेलू हिंसा क़ानून के विरुद्ध है। आपके पति-पत्नी या साथी-साथिन के लिए यह ग़ैर-क़ानूनी है कि वह आपको किसी ढंग से शारीरिक चोट पहुंचाए, जब आप नहीं चाहती हैं तो संभोग करने के लिए ज़बरदस्ती करे, आपको या आपके बच्चों को चोट पहुंचाने या मार डालने की, या आपकी संपत्ती को नष्ट करने की धमकी दे। यदि आप घरेलू हिंसा की शिकार हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए क़ानून हैं।

क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए?

यदि आप ख़तरे में हैं, तो 9-1-1 पर टैलीफ़ोन करके पुलिस को बुलाएं। आपसे गली-मुहल्ले का सही पता, क्या हुआ का स्पष्ट विवरण, यह कब हुआ, आपके साथी का नाम, जन्म की तारीख़, गाड़ी का लाइसेंस नंबर, और शारीरिक ब्यौरा (बालों का रंग, चमड़ी का रंग, उम्र, क़द की ऊंचाई, वज़न) आदि के बारे में जानकारी देने के लिए कहा जाएगा। टैलीफ़ोन ऑपरेटर पुलिस अफ़सरों को आपके घर भेजेगा। आपको उनके आने की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यदि आपको डर लग रहा है तो आप ऑपरेटर से लाईन पर रहने के लिए कहें।

यदि आप अंग्रेज़ी नहीं बोलतीं तो 911 के ऑप्रेटर को अपनी बोलने की भाषा का नाम (अंग्रेज़ी में) बताएं। 911 का ऑपरेटर (एटीटी की भाषा लाईन) पर आपकी भाषा बोलने वाले किसी से टैलीफ़ोन मिलाएगा। इस प्रकार आपकी बात दो लोगों, दुभाषिए और 911 के ऑपरेटर, से होगी।

पुलिस के पहुंचने पर क्या होगा?

पुलिस के पहुंचने पर, वह आपको और आपके साथी को अलग अलग रखेंगे और हर एक से कई प्रश्न पूछेंगे। घटना के बारे में, जितनी संभव हो, जानकारी दें। यदि आपको चोट लगी है तो जो भी खरोंच, निशान, ज़ख़्म या अन्य चोटें हैं उन्हें अफ़सरों को दिखाएं। यदि आपके साथी ने पहले भी कभी डराया था या चोट पहुंचाई थी तो पुलिस को घटना का ब्यौरा दें।

पुलिस को ब्यान देने का आपका अधिकार है। आपके बच्चे, साथी या परिवार के अन्य सदस्यों को आपकी ओर से दुभाषिए के रूप में काम में नहीं लाना चाहिए। पुलिस अफ़सर टैलीफ़ोन दुभाषिए से आपके लिए अनुवाद करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। जो कुछ हुआ, आप उसका विवरण अपनी भाषा में लिख सकती हैं और पुलिस अफ़सरों से उसे रिपोर्ट में जोड़ने के लिए कह सकती हैं। यदि आपके घर में पिस्तौल-बंदूक़ हैं तो अफ़सरों को बताएं कि वे कहां रखी हैं। उनसे वारदात नंबर लें और उसे लिख कर अपने पास रखें।

स्थानीय पुलिस एजेंसियों की यह नीति नहीं है कि घरेलू हिंसा के पीड़ित की रिपोर्ट इम्मीग्रेशन व नेचरलाईज़ेशन सर्विस (प्रवास व देशीयकरण सेवा) से करें। यदि आपसे आपकी प्रवासी स्थिति के बारे में पूछा जाए तो आप अफ़सर से कह सकती हैं कि आप बताना नहीं चाहतीं और यह कि आपको वकील से बात करने की ज़रूरत है।

यदि मेरे साथी को गिरफ़्तार किया जाता है तो क्या होगा?

यदि अफ़सरों को विश्वास है कि अपराध किया गया है तो वे आपके साथी को गिरफ़्तार कर सकते हैं। यदि वे उसे जेल ले जाते हैं तो उसे कुछ एक घंटों में ही छोड़ा जा सकता है या उसे कई दिनों या लंबे समय के लिए वहीं रखा जा सकता है। यदि आप वीआईऐनई (VINE - केवल किंग काऊंटी जेल में ही उपलब्ध) पर रजिस्टर हुई हैं तो उसके जेल से छुटने की सूचना आप टैलीफ़ोन से पा सकती हैं। इस मुफ़्त सेवा के लिए रजिस्टर होने के लिए 1-877-425-8463 पर टैलीफ़ोन करें।

मेरे साथी की गिरफ़्तारी के पश्चात क्या होता है?

यदि आपका साथी गिरफ़्तार होता है तो प्रासिक्यूटर उसके विरुद्ध आरोप लगाने का फ़ैसला कर सकता है। यह आपके हाथ में नहीं है कि उसके विरुद्ध आरोप लगाए या हटाए जाएं। यह केवल प्रासिक्यूटर ही है जो कि आरोप लगाने या हटाने का फ़ैसला कर सकता है।

पहली पेशी पर जज नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर (कोई संपर्क नहीं) के आदेश जारी कर सकता है, यह आपके साथी को आपसे दूर रहने के लिए आदेश है। यदि वह आपसे निजी तौर पर या टैलीफ़ोन से या डाक से संपर्क करता है तो आप 9-1-1 पर टैलीफ़ोन कर सकती हैं और वह फिर से गिरफ़्तार हो सकता है।

नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर साधारणतया आपके बच्चों को सुरक्षा नहीं देता है। यदि आप अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए या मुलाक़ात की व्यवस्था के बारे में चिंतित हैं तो आपको ऑर्डर फ़ॉर प्रोटैक्शन (सुरक्षा आदेश) के लिए दावा करना चाहिए।

यदि मुझे अदालत जाना पड़ता है तो?

फ़ौजदारी मामलों में अदालत में कई बार सुनवाई हो सकती है। यदि मुक़द्दमा चलता है तो टैलीफ़ोन से या लिखित रूप में आपको सूचित किया जाएगा कि आपको अदालत में उपस्थित होना है। यदि कोई आपको अदालत जाने से रोकने के लिए धमकाता है तो यह अपराध है और आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकती हैं।

अदालती कार्रवाई में आपकी सहायता करने के लिए एक वकील आपके साथ काम करेगा। यह सुनिश्चित करलें कि वकील जानता है कि आपसे कहां संपर्क किया जा सकता है। अदालत में वादी और प्रतिवादी पक्ष के वकील आपसे घरेलू हिंसा की घटना के बारे में प्रश्न पूछेंगे।

क्या एक से अधिक अदालतें हैं?

किंग काऊंटी में कई अलग अलग अदालतें हैं। आपका वकील आपको अदालती प्रणाली के बारे में बताएगा। स्थानीय अदालतें (नगर पालिका और ज़िला) छोटे मोटे (मिसडिमीनर) अपराधों की सुनवाई करती हैं। किंग काऊंटी सुपीरियर (वरिष्ठ) अदालत संगीन अपराध और तलाक़ व बच्चों की सुपुर्दगी जैसे पारिवारिक मामलों की सुनवाई करती है। ऑर्डर फ़ॉर प्रोटैक्शन (सुरक्षा आदेश) इन सभी अदालतों से उपलब्ध हैं।

यदि आप और आपके साथी के मुक़द्दमें कई अदालतों में चल रहे हैं तो ऐसा न सोचें कि एक अदालत के जज को दूसरी अदालतों में चल रहे मुक़द्दमों के बारे में जानकारी होगी। हर एक अदालत स्वतंत्र रूप से काम करती है। आपको अपने ऑर्डर फ़ॉर प्रोटैक्शन और नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर समेत सारे क़ानूनी काग़ज़ात हर एक अदालती सुनवाई के समय लाने चाहिए और सुनिश्चित करें कि आपके वकील को आपके दूसरे मुक़द्दमों के बारे में जानकारी है।